

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 418] नई दिल्ली, सोमवार, प्रवृद्ध 6, 1975/आश्विन 14, 1897

No. 418] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1975/ASVINA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October 1975

S.O. 594(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following Order, namely:—

That a person referred to in clause (c) of sub-section (4) of section 39 of the said Act shall be exempt from the operation of the time limit specified in that clause relating to the making of an application for the grant of a certificate referred to in sub-section (1) of the said section 39 if he makes the said application on or before the 31st day of December, 1975.

[No. 8/75—F. No. 131/36/75-GC.II]

M. G. ABROI., Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1975

का० प्रा० 594(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जिसकी यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस खंड में निर्दिष्ट समय-सीमा के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी यदि वह उस धारा 39 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए, 31 दिसम्बर, 1975 को या उसके पूर्व आवेदन करे।

[सं० 8/75—सं० फा० 131/36/75—जी० सी० II]

एम० जी० अग्रवाल, अपर सचिव।